**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।**

**जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–521/2026**

**(CNR No.UPBH010012822026)**

1–मस्तराम पाण्डेय उम्र 47 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद उर्फ झब्बर,

2–चन्द्रसेन पाण्डेय उम्र 70 वर्ष पुत्र सुदर्शन पाण्डेय,

3–सुरेश कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र जगदीश,

निवासीगण–आलादादपुर, थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच।

–––––आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य–––––––

––––––अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–67/2026,
धारा–115(2), 352, 351(3), 191(2), 191(3), 190, 323, 121, 132, 324, 109 बी०एन०एस० एवं 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम।
थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच।

–––

**निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र**

**12.03.2026**

1– थाना–फखरपुर, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–67/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 191(2), 191(3), 190, 323, 121, 132, 324, 109 बी०एन०एस० एवं 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तगण मस्तराम पाण्डेय, चन्द्रसेन पाण्डेय व सुरेश कुमार की तरफ से यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके समर्थन में शपथी पवन कुमार पाण्डेय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अपर सिविल जज(प्रवर खण्ड)(नव सृजित)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण मस्तराम पाण्डेय, चन्द्रसेन पाण्डेय व सुरेश कुमार का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनाँक–05.03.2026 को निरस्त किया गया है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह कथन किया गया है कि यह उनका सत्र न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। उनका अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ–लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय द्वारा न तो निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

4– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

5– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी उ०नि० ओमप्रकाश गौड़ दिनांक–03.03.2026 को हमराही कर्मचारीगण देख–भाल क्षेत्र त्यौहार होली/होलिका दहन में मामूर थे। समय करीब–22:00 बजे रात्रि को ग्राम–अलादादपुर में बाम्हण एव यादव पक्ष के परिवार

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.12 16:54:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के लोगों के बीच होलिका जलाने के बाद वापस आते समय एक–दूसरे के विरूद्ध गाली देने व ताना मारने के बात को लेकर विवाद करने लगे एवं एक–दूसरे को गाली व धमकी देते हुये छतों से व घरों से जान से मारने के नियत से एक–दूसरे के ऊपर ईंट, पत्थर व लाठी, भाला, काँता से मारते हुये हमला कर दिये। चीख पुकार मच गई। चीख–पुकार सुनकर हम पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किये, किन्तु दोनों पक्ष हम पुलिस वालों के बातों को अनसुना करते हुये हम पुलिस वालों को भी गाली–गुप्ता, धमकी देते हुये जान से मारने के नियत से ईंट, पत्थर, लाठी, डन्डा, भाला व काँता से मारने लगे और दौड़ा लिये। हमलावरों को बीट आरक्षियों के मदद से पहचाना गया, जिनमें मस्तराम पाण्डेय, चन्द्रशेन पाण्डेय, नरेन्द्र पाण्डेय उर्फ नन्दू पाण्डेय, विकाश पाण्डेय, संतलाल यादव, अखिलेश यादव तथा नरेन्द पाण्डेय व मस्तराम पाण्डेय के घर के व इनके हेली–मेली 06–07 आदमी और औरतें नाम पता अज्ञात शामिल रहे।

6– वादी की उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक–04.03.2026 को समय 03:53 बजे थाना–फखरपुर में आवेदक/अभियुक्तगण मस्तराम पाण्डेय, चन्द्रसेन पाण्डेय, सह–अभियुक्तगण नरेन्द्र पाण्डेय उर्फ नन्दू, विकाश पाण्डेय, संतलाल यादव, अखिलेश यादव एवं 06–07 अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–67/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(3), 191(2), 191(3), 190, 223, 121, 132, 324 बी०एन०एस० व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) अधिनियम में पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त सुरेश कुमार शर्मा का नाम प्रकाश में लाया गया और मामले में धारा–109 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई। मामले की विवेचना प्रचलित है।

7– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुए कहा कि जनता का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। होलिका दहन को लेकर उनके व गांव वालों के बीच आपस में कहासुनी हो रही थी, सूचना पाकर थाने की पुलिस मौके पर पहुँच गयी थी और दोनो पक्षों को थाने ले जाने के प्रयास में कुछ लोगों को चोटें आ गयी थीं। घटना के समय वे अपने घर पर नहीं थे, बल्कि वे लोग अपनी रिश्तेदारी में गये थे और रात में जब वे अपने घर आये, तब थाने की पुलिस ने आकर उनको पकड़कर थाने ले गयी तथा बढ़ा–चढ़ाकर उपरोक्त फर्जी मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेज दिया। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक–04.03.2026 से जिला कारागार बहराइच में निरुद्ध हैं। सह अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखिलेश कुमार यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक–09.03.2026 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

8– राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मण एवं यादव पक्ष के मध्य होलिका जलाने के बाद वापस आते समय एक–दूसरे के विरुद्ध गाली–गलौज व ताना मारने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिस कारण वे एक–दूसरे पर ईंट, पत्थर, लाठी, भाला, कॉता से मारते हुए हमला किये। चीख–पुकार सुनकर मौके पर वादी पक्ष(पुलिस) पहुँचा तथा दोनो पक्षों को रोकने का प्रयास किया, तो आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण ने गाली–गुप्ता देते हुए उन्हें जान से मारने की नीयत से ईंट, पत्थर, लाठी, भाला, कॉता से मारकर गम्भीर उपहति कारित की एवं पुलिस उक्त घटना से आम

जनमानस में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। अभियोजन कथानक का समर्थन चोटहिल साक्षी एवं अन्य साक्षियों द्वारा बखूबी किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा लोक सेवक को मार–पीटकर गम्भीर उपहति कारित की गई है। मामले की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य संकलित होना शेष है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान की गई, तो वे जमानत प्राप्त होने के उपरान्त विवेचना में सहयोग नहीं करेंगे तथा आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल होने पर वे विचारण हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे और वे फरार हो जायेंगे। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9– केस डायरी एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण एवं द्वितीय पक्ष के मध्य होलिका जलाने के बाद वापस आते समय एक–दूसरे के विरुद्ध गाली–गलौज व ताना मारने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिस कारण वे एक–दूसरे पर ईंट, पत्थर, लाठी, भाला, कॉता से मारते हुए हमला किये। चीख–पुकार सुनकर मौके पर वादी पक्ष(पुलिस) पहुँचा और उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण ने गाली–गुप्ता देते हुए वादी पक्ष(पुलिस) को जान से मारने की नीयत से ईंट, पत्थर, लाठी, भाला, कॉता से मारकर गम्भीर उपहति कारित की। उक्त घटना से आम जनमानस में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हुआ। उपलब्ध चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल आरक्षी अभिषेक, आरक्षी मोहित यादव व आरक्षी अमित यादव, उ०नि० ओम प्रकाश के शरीर पर कोई गम्भीर चोट आना दर्शित नहीं होता है। किसी भी चोटहिल के शरीर के किसी मर्म स्थल पर कोई गम्भीर चोट आना दर्शित नहीं होता है। सभी अभियुक्तगण द्वारा मारने–पीटने का कथन किया गया है, किन्तु किसी भी अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका उल्लिखित नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के आपराधिक पूर्ववृत्त सम्बन्धी कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। सह–अभियुक्त अखिलेश उर्फ अखिलेश कुमार यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक–09.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक–04.03.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है।

10– अतएव मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण मस्तराम पाण्डेय, चन्द्रसेन पाण्डेय व सुरेश कुमार की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक को 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेंगे। उनके विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर वे मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं

अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351 बी०एन०एस०एस० के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

4. अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

5. आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

6. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

(राजेश कुमार सिंह)

दिनांक–12.03.2026 सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

**Id No.–UP** 2017